

प्रेमदा,

श्रीम प्रकाश गुप्त,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश विधान ।

मेरा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
विद्या भवन-2 समुदाय भवन,
प्रतिष्ठ विहार, नई दिल्ली ।

विद्या 271 अनुदान

संख्या : दिनांक : 27-8-03

विषय:- लोभर चिल्ड्रेन स्कूल शिवपुर बाबास रोड, वाराणसी को सी०बी०एस०ई० नईदिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने विषयक ।

महोदय,

अपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त सदसित विद्यालय को सी०बी०एस०ई० नईदिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में उस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन आपत्ति नहीं है :-

- 1.1 विद्यालय की पंजीकृत स्रोतावली का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
- 1.2 विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
- 1.3 विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित वर्गों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ०प्र० मा० शिक्षा परिषद द्वारा संघीय विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
- 1.4 संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की माँग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा बेसिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कौशल फाउंडेशन स्कूल सर्वोपेक्षित इकाईमैशन नईदिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा वर्ष से उक्त केन्द्रीय परिषदों की संबद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ०प्र० मा० माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा ।

K. Singh

—2—

Rajee Kumar Ti

Manager
Tomar Children School
Shivpur By Pass Road
Varanasi,

K. Singh

Principal
Tomar Children School
Shivpur bypass, Varanasi

Rajee Kumar Ti

Manager
Tomar Children School
Rudhipur Shivapur Baipasa
Varanasi.

154. जो छात्र वैदिक एवं शिष्टोत्तम व्यवहारों को सदा धन्य संजोषता प्राप्त करने के लक्ष्यों के लक्ष्य में जो अनुसंधान प्रयत्नों तथा अभ्यासों से सब संश्लेषण तथा अन्य रूपों में प्राप्त करेंगे ।
161. कर्मचारियों को सेवा शर्तों का पालन करेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अभ्यास में उत्साह प्रदान करेगी ।
171. राज्य सरकार द्वारा समस्त समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उसका पालन करेगी ।
181. विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/परिचयों में रखा जायेगा ।
191. उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पृथक्पृथक् दिनांकों पर परिवर्तन/संशोधन/परिवर्तन नहीं किया जायेगा ।

उक्त प्रतिबंधों का पालन उक्त संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की धूल या गिरावट बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा उक्त अनुसंधान प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय,

। विम प्रकाश गुप्त ।
संयुक्त सचिव ।

पृथक्पृथक् एवं विचारक तैयार

प्रतिबंधों निम्नलिखित रूप में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- प्रमुख संयुक्त शिक्षा निदेशक, वाराणसी ।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, वाराणसी ।
- 4- निरीक्षक, आंगन भारतीय विद्यालय, उ०प्र०, लखनऊ ।
- 5- प्रबंधक, तोमर चिल्ड्रेन स्कूल शिवपुर बाईपास रोड, वाराणसी ।
- 6- गार्ड फाइल ।

K. Singh

Principal

Tomar Children School
Shivpur bypass, Varanasi

आज्ञा है,

। विम प्रकाश गुप्त ।

संयुक्त सचिव ।

Manager

Tomar Children School

Shivpur by Pass Road

Varanasi

Regul Kumar

Manager

Tomar Children School
Sudhaur Shivpur Bypass
Varanasi.